पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1621

दिनांक-06.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

- **पीजीआई पुलिस द्वारा खच्चर चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**
- **चोरी के 08 खच्चर व घटना में प्रयुक्त वाहन (पिक अप) बरामद।**

01-कार्यवाही :-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरून गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज श्री ऋषभ यादव के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पीजीआई श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा खच्चर चोरी करने वाले 01 शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.08.2026 को वादी श्री रकमनाथ पुत्र स्व0 सिद्धनाथ सिंह निवासी ग्राम गांधीनगर पोस्ट माती थाना बिजनौर जिला लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर में बताया गया कि मेरे व मेरी साथी बबीता पत्नी स्व0 शनिनाथ ग्राम देव सिंह खेड़ा कल्ली पश्चिम व रविनाथ पुत्र स्व0 महेंद्रनाथ निवासी ग्राम देव सिंह खेड़ा कल्ली पश्चिम लखनऊ के दिनांक 23.08.2026 को आठ खच्चर उत्तरठियां रेलवे क्रसिंग के पास से चोरी कर लिये गये। उक्त के सम्बन्ध थाना पीजीआई पर मु0अ0सं0 446/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

इसी क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी व खच्चरो की बरामदगी हेतु थाना स्थानीय से टीमो का गठन किया गया। टैक्निकल,मैनुअल एवं स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से प्रकाश में आये पिकप वाहन संख्या के आधार पर चोरी किये गए 08 अदद खच्चरों की बरामदगी करते हुए अभियुक्त बच्चन सिंह पुत्र जयपाल सिंह उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम नगला मानसुजान थाना गोण्डा जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार मा0 न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । अन्य की तलाश जारी है।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

अभियुक्त बच्चन सिंह उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि साहब करीब 12 से13 दिन पहले मै अपने लोडर से भाड़ा लेकर लखनऊ गया था। तभी मेरे गाँव के ही गोलू शर्मा पुत्र राम खिलाडी निवासी ग्राम नगला मानसुजान थाना गोण्डा जनपद अलीगढ़ ने मुझे फोन करके कहा कि तुम लखनऊ आये हो ,यहीं पर मेरे कुछ जानवर हैं । तुम लेते चलो जिस पर मैने कहा तो ठीक है। फिर गोलू शर्मा व उसका एक और दोस्त जिसका नाम मुझे नही पता है । ये लोग मुझे कहीं पर ले गये और वहीं एक रेलवे क्रासिंग के पास मेरी गाड़ी खड़ी करा दी फिर गोलू शर्मा और उसके दोस्त ने पास में ही एक मैदान से 08 खच्चर चोरी कर लिये और उन्हे मेरी गाड़ी में ही लाद दिया। मैं लालच में आ गया ,साहब मुझे माफ कर दो ,गलती हो गई।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-बच्चन सिंह पुत्र जयपाल सिंह नि0 ग्राम नगला मानसुजान थाना गोण्डा जनपद अलीगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

- मु0अ0सं0 446/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पी.जी.आई. जनपद लखनऊ।

06-बरामदगी-

- 08 अदद खच्चर।
- घटना में प्रयुक्त महिन्द्रा से बोलेरो पिकअप रंग सफेद।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- कोतवाली पीजीआई पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1622
दिनांक-06.09.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-मोहनलालगंज

- **थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-कार्यवाही विवरणः-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ श्री तरून गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त(दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार व सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलाललगंज श्री राजेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एवं प्रभारी निरीक्षक मोहनलालगंज श्री राम बाबू सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधडी करने वाले 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02-संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 03.09.25 को वादी श्री अरूण कुमार शुक्ला पुत्र श्री पुत्ती लाल शुक्ला ग्राम व पोस्ट करोरा लखनऊ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षीगण द्वारा वादी की भूमि को कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से फर्जी व्यक्ति द्वारा बैनामा करा लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मोहनलालगंज पर मु0अ0सं0- 343/2025 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया है।

उपरोक्त घटना मे वांछित अभियुक्त की तलाश हेतु थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम द्वारा टेक्निकल एव मैनुएल साक्ष्यो एवं संपर्क सूत्र के आधार पर प्रकाश मे आये वांछित अभियुक्त राम बहादुर पुत्र गौरी शंकर निवासी ग्राम देवती थाना नगराम जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुये न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया।

पूर्व मे उपरोक्त अभियोग में दिनांक 25.10.2025 को अभियुक्त सुधीर पुत्र राजू निवासी ग्राम व पोस्ट बहरौली थाना नगराम लखनऊ व दिनांक 04.11.2025 को सतेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 मोहनलाल निवासी छिबऊखेडा थाना मोहनलालगंज लखनऊ को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा चुका है। अन्य अभियुक्त की तलाश जारी है।

03-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

अभियुक्त राम बहादुर से पूछतांछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि आर्थिक लाभ लेने के लिये वादी की भूमि का फर्जी बैनामा कराया गया था।

04- अभियुक्त का विवरण-

01-राम बहादुर पुत्र गौरी शंकर निवासी ग्राम देवती थाना नगराम जनपद लखनऊ उम्र करीब 35 वर्ष

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0-343/25 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/61(2) बीएनएस थाना मोहनलालगंज लखनऊ।

06- गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना मोहनलालगंज पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1625

दिनांक-06/09/2026

जोन- पूर्वी/ थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा आने-जाने वाले व्यक्तियों को अवैध गांजा बेचने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से 1170 ग्राम अवैध गांजा व गांजा विक्रय से प्राप्त ₹600/- नगद बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 06.09.2026 को उ0नि0 श्री सौरव सिंह मय हमराह पुलिस बल द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग एवं अपराध की रोकथाम हेतु टेढ़ीपुलिया चौराहे पर मौजूद थे। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि खोया मण्डी के पीछे खाली मैदान में एक संदिग्ध व्यक्ति सफेद रंग के झोले में गांजा लेकर आने-जाने वाले व्यक्तियों को बेच रहा है।

सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त द्वारा भागने का प्रयास किया गया, जिसे आवश्यक बल प्रयोग करते हुए पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम **अरशद पुत्र स्व0 जावेद, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी आदिल नगर, गन्ने का पुरवा, ट्यूबवेल वाली गली, थाना गुडम्बा, लखनऊ** बताया।

अभियुक्त की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से **1170 ग्राम अवैध गांजा** तथा जीन्स की पिछली जेब से **₹600/- नगद** बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा ₹600/- गांजा विक्रय से प्राप्त होना बताया गया। गांजा रखने/विक्रय करने के संबंध में वैध कागजात अथवा लाइसेंस मांगने पर अभियुक्त कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका।

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह एक व्यक्ति से कम दाम में गांजा खरीदकर उसकी पुड़िया बनाकर राह चलते व्यक्तियों को अधिक दाम में बेचता है तथा उससे प्राप्त धनराशि से अपने शौक पूरे करने एवं परिवार का जीवन-यापन करता है। गांजा उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति का नाम-पता ज्ञात न होना बताया गया।

अभियुक्त को दिनांक **06.09.2026 को** खोया मण्डी के पीछे खाली मैदान, वहद चौकी टेढ़ीपुलिया, थाना गुडम्बा, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजा एवं नगद धनराशि को नियमानुसार कब्जे पुलिस में लेकर सील सर्व मोहर किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना गुडम्बा पर **मु0अ0सं0-348/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट** पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

01-अरशद पुत्र स्व0 जावेद, उम्र करीब 19 वर्ष नि0-आदिल नगर, गन्ने का पुरवा, ट्यूबवेल वाली गली, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

03-बरामदगी

- **1170 ग्राम अवैध गांजा**
- **₹600/- नगद**, गांजा विक्रय से प्राप्त

04-पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-348/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास के संबंध में जानकारी की जा रही है।

05-गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ0नि0 श्री सौरव सिंह
3. उ0नि0 श्री मंयक राय
4. का0 कुलदीप कुमार
5. का0 राहुल कुमार
6. का0 रावेन्द्र

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1624

दिनांक-06/09/2026

जोन- पूर्वी/ थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **05.09.2026** को वादी मुकदमा **राम प्रसाद पुत्र स्व0 द्वारिका**, निवासी ग्राम सण्डौर, थाना रामपुर कला, जनपद सीतापुर द्वारा थाना गुडम्बा पर अभियुक्त **वीरू पुत्र प्यारेलाल**, निवासी सूरजनपुर, थाना रामपुर कला, जनपद सीतापुर के विरुद्ध **मु0अ0सं0 346/2026 धारा 108 बीएनएस** पंजीकृत कराया गया। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री **उम्र 22 वर्ष** को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया बाद में शादी करने से मना किया जाने लगा तथा आत्म हत्या के लिए उकसाने लगा जिससे क्षुब्ध होकर वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उक्त अभियोग की विवेचना **उ0नि0 श्री जय बहादुर राय** द्वारा की जा रही है।

आज दिनांक **06.09.2026** को पतारसी-सुरागरसी के क्रम में **उ0नि0 श्री जय बहादुर राय मय हमराही पुलिस बल** द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **वीरू कुमार पुत्र प्यारेलाल, निवासी सूरजनपुर, थाना रामपुर कला, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 20 वर्ष** को **कूड़ा चौराहा, थाना दुबग्गा, लखनऊ** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह मृतका को पिछले करीब तीन माह से जानता था। दोनों के मध्य मोबाइल फोन के माध्यम से बातचीत शुरू हुई थी। अभियुक्त ने बताया कि वह **निर्मल रेस्टोरेंट, फरीदीपुर, दुबग्गा** में कुक का कार्य करता है तथा वहीं रहता है। अभियुक्त के अनुसार, वादी की पुत्री एवं अभियुक्त की जाति अलग होने के कारण अभियुक्त ने शादी करने से मना कर दिया था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मृतका इस कारण आत्महत्या कर लेगी। अभियुक्त द्वारा शेष तथ्यों के संबंध में अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष पक्ष रखने की बात बताई गई।

03- पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 346/2026, धारा 108 बीएनएस, थाना गुडम्बा,

04- गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01-वीरू कुमार पुत्र प्यारेलाल, निवासी सूरजनपुर, थाना रामपुर कला, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 20 वर्ष।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. **SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र**, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
2. **उ0नि0 श्री जय बहादुर राय**, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
3. **आरक्षी विनोद कुमार**, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
4. **आरक्षी रवि कुमार**, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1624

दिनांक-06/09/2026

जोन- पूर्वी/ थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा युवती को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक **05.09.2026** को वादी मुकदमा **राम प्रसाद पुत्र स्व0 द्वारिका**, निवासी ग्राम सण्डौर, थाना रामपुर कला, जनपद सीतापुर द्वारा थाना गुडम्बा पर अभियुक्त **वीरू पुत्र प्यारेलाल**, निवासी सूरजनपुर, थाना रामपुर कला, जनपद सीतापुर के विरुद्ध **मु0अ0सं0 346/2026 धारा 108 बीएनएस** पंजीकृत कराया गया। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री **उम्र 22 वर्ष** को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया बाद में शादी करने से मना किया जाने लगा तथा आत्म हत्या के लिए उकसाने लगा जिससे क्षुब्ध होकर वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर ली गई। उक्त अभियोग की विवेचना **उ0नि0 श्री जय बहादुर राय** द्वारा की जा रही है।

आज दिनांक **06.09.2026** को पतारसी-सुरागरसी के क्रम में **उ0नि0 श्री जय बहादुर राय मय हमराही पुलिस बल** द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त **वीरू कुमार पुत्र प्यारेलाल, निवासी सूरजनपुर, थाना रामपुर कला, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 20 वर्ष** को **कूड़ा चौराहा, थाना दुबग्गा, लखनऊ** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह मृतका को पिछले करीब तीन माह से जानता था। दोनों के मध्य मोबाइल फोन के माध्यम से बातचीत शुरू हुई थी। अभियुक्त ने बताया कि वह **निर्मल रेस्टोरेंट, फरीदीपुर, दुबग्गा** में कुक का कार्य करता है तथा वहीं रहता है। अभियुक्त के अनुसार, वादी की पुत्री एवं अभियुक्त की जाति अलग होने के कारण अभियुक्त ने शादी करने से मना कर दिया था। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मृतका इस कारण आत्महत्या कर लेगी। अभियुक्त द्वारा शेष तथ्यों के संबंध में अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष पक्ष रखने की बात बताई गई।

03- पंजीकृत अभियोग का विवरण-

01-मु0अ0सं0 346/2026, धारा 108 बीएनएस, थाना गुडम्बा,

04- गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

01-वीरू कुमार पुत्र प्यारेलाल, निवासी सूरजनपुर, थाना रामपुर कला, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 20 वर्ष।

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. **SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र**, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
2. **उ0नि0 श्री जय बहादुर राय**, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
3. **आरक्षी विनोद कुमार**, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
4. **आरक्षी रवि कुमार**, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-1623
दिनांक-06/09/2026

जोन- पूर्वी/ थाना-गाजीपुर

- **थाना गाजीपुर पुलिस ने 06 वर्षीय बच्ची/बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 06.09.2026 को थाना गाजीपुर पर वादिनी द्वारा प्रार्थना-पत्र देकर सूचना दी गई कि अभियुक्त अनिल अवस्थी द्वारा वादिनी की 06 वर्षी पुत्री साथ गलत कार्य करने के सम्बन्ध में दिया गया। वादिनी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना गाजीपुर पर मु0अ0सं0 0311/2026 धारा 65(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं 5(m)/6 पाक्सो अधिनियम बनाम -अनिल अवस्थी निवासी किराये का मकान बस्तौली इन्दिरानगर लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की गयी।

दौराने तलाश पतारसी सुरागरसी अभिसूचक(मुखविर) की सूचना पर अभियोग में नामजद अभियुक्त अनिल अवस्थी पुत्र रामधीरज अवस्थी निवासी- ग्राम सुकईपुर थाना राजाबौंडी जनपद बहराईच हाल पता- ग्राम बस्तौली थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र लगभग 52 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत बस्तौली गांव से गिरफ्तार कर हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा अपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

06 वर्षीय बच्ची/बालिका दुष्कर्म करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01-अनिल अवस्थी पुत्र रामधीरज अवस्थी निवासी- ग्राम सुकईपुर थाना राजाबौंडी जनपद बहराईच हाल पता- ग्राम बस्तौली थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र लगभग 52 वर्ष

04-आपराधिक इतिहास

01-मु0अ0सं0 0311/2026 धारा 65(2)बीएनएस व 5(m)/6 पाक्सो एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ

05-अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. अति0 निरीक्षक श्री शिव प्रता सिंह
2. उ0नि0 श्री राजन केशरी
3. हे0का0 विजय सिंह
4. का0 अरुण कुमार